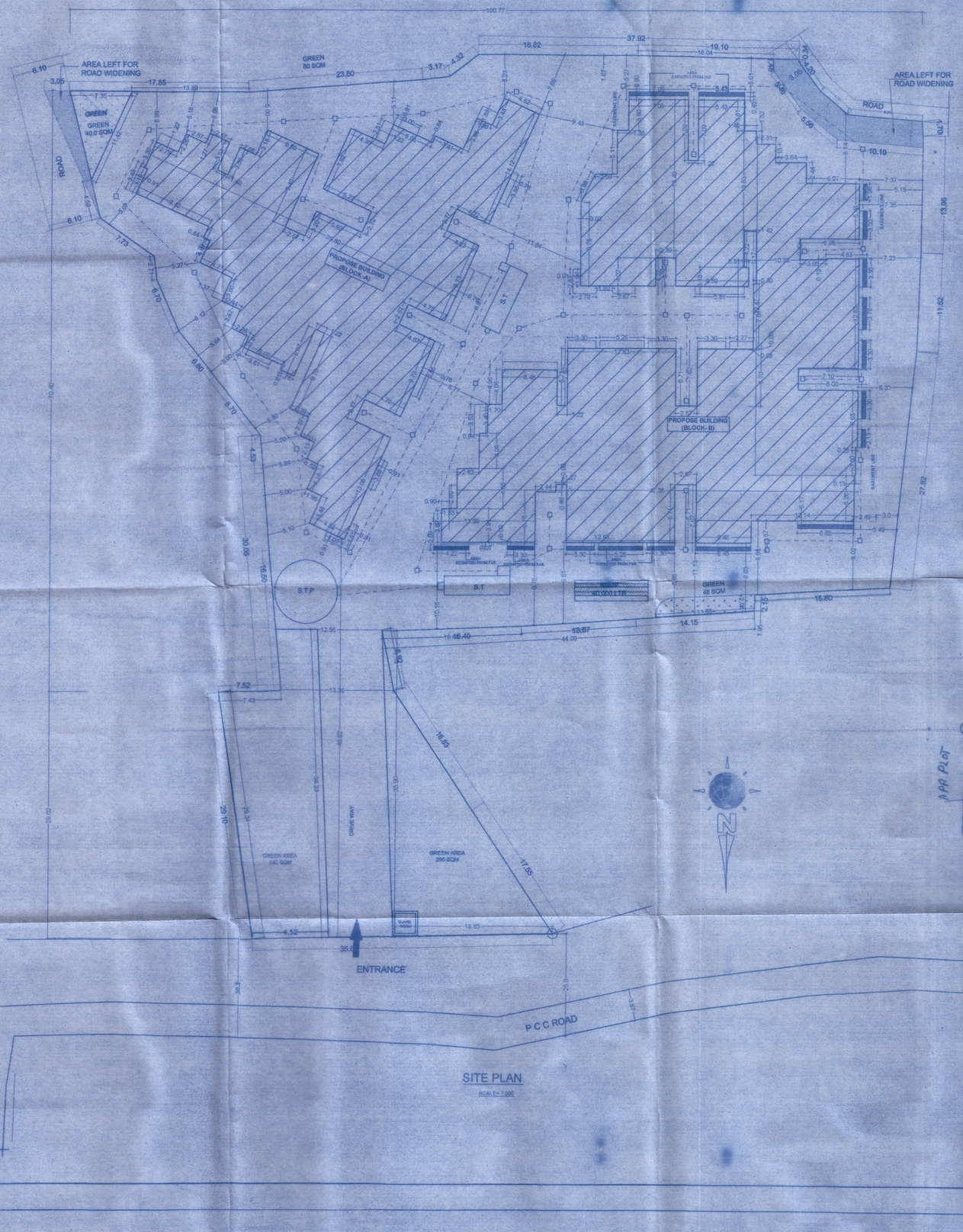
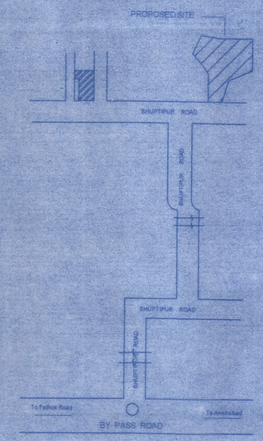
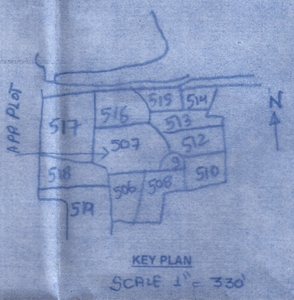




LOCATION PLAN
NOT TO SCALE



KEY PLAN
SCALE 1" = 330'

PARKING CALCULATION	
TOTAL B/U AREA (BLOCK A+B)	=18215.05SQM
REQUIRED PARKING @ 25% OF TOTAL B/U AREA	=4553.76 SQM
PROVIDED PARKING IN BLOCK (A+B)	=4565.58 SQM

GREEN AREA CALCULATION	
TOTAL PLOT AREA	=6081.07 SQM
REQUIRED GREEN AREA @ 10% OF PLOT AREA	=608.00 SQM
PROVIDED GREEN AREA	=718.00 SQM

SEWERAGE TREATMENT PLANT CALCULATION	
TOTAL NO. OF FLAT (A+B)	=63+119=182 NOS
ONE FLAT 5 PERSON	
TOTAL NO OF PERSON	= 182 X 5 = 910
ONE PERSON REQU. WATER	= 135 LTR./DAY
TOTAL REQU. WATER	= 910X135 =122850 LTR./DAY
DOMESTIC PURPOSE (-F WATER CONSUMED)	= 81,900 LTR
FLUSHING PURPOSE (-F WATER CONCUMED)	= 40,950 LTR
S.T.P CAPACITY	= (0.75 X DOMESTIC +FLUSH WATER)
	= 0.75 X 81900 + 40950 LTR
	= 1,02,375 LTR
STP VOLUME	= 1,02,375/1000 = 102.375 CUM
	= 102.3 KLD

AREA CALCULATION

TOTAL PLOT AREA AS PER DEED	= 6396.78 Sqm
PLOT AREA AS PER SITE	= 6163.072 Sqm
AREA LEFT FOR ROAD WIDENING	= 60.00 sqm (SW corner)
	+22.00 sqm(SE Corner)
	= 82.00 sqm
NET PLOT AREA	= **6081.072 SQM**

BLOCK- A	F.A.R AREA	ACTUAL AREA
GROUND FLOOR B/U AREA	=56.48 sqm	(1067.07sqm)
FIRST FLOOR B/U AREA	=1007.83 sqm	
SECOND FL. B/U ARE	=1007.83 sqm	
THIRD FL. B/U AREA	=1007.83 sqm	
FOURTH FL. B/U AREA	=1007.83 sqm	
FIFTH FL. B/U AREA	=1007.83 sqm	
SIXTH FL. B/U AREA	=1007.83 sqm	
SEVENTH FL. B/U AREA	=1007.83 sqm	
TOTAL B/U AREA	= **7111.29 sqm**	
CAR PARKING		=1010.59 sqm

BLOCK-B	F.A.R AREA	ACTUAL AREA
BASEMENT FLOOR B/U AREA	= 49.97 sqm	(1920.24 sqm)
GROUND FLOOR B/U AREA	= 76.60 sqm	(1672.69 sqm)
FIRST FLOOR B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
SECOND FL. B/U ARE	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
THIRD FL. B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
FOURTH FL. B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
FIFTH FL. B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
SIXTH FL. B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
SEVENTH FL. B/U AREA	= 1568.17 sqm	(1591.99 sqm)
TOTAL B/U AREA	= **11,103.76 sqm**	
CAR PARKING – (BASEMENT FLOOR)		= **1875.28** sqm
CAR PARKING – (GROUND FLOOR)		= **1677.71** sqm
TOTAL CAR PARKING		= **3552.99**

TOTAL B/U AREA (A+B) = 7,111.29+11,103.76= 18,215.05 sqm
F.A.R (18164.23/6081.072) = 2.99

WATER TANK CALCULATION	
TOTAL NO. OF FLAT (A+B)	=63+119=182 NOS
ONE FLAT 5 PERSON	
TOTAL NO OF PERSON	= 182 X 5 = 910
ONE PERSON REQU. WATER	= 135 LTR./DAY
TOTAL REQU. WATER	= 910X135 =122850 LTR./DAY
TOTAL REQU. AREA OF WATER TANK	= 122.85 CU.M.
PROVIDE AREA OF WATER TANK	
=SIZE = 8.00X3.00X1.00	=24.00 CU.M. X6 NOS
TOTAL SIZE OF WATER TANK	=144.00 CU.M

SEPTIC TANK CALCULATION	
TOTAL NO. OF FLAT (A+B)	= 182 NOS
ONE FLAT 5 PERSON	
TOTAL NO OF PERSON	=182 X 5 = 910
ONE PERSON REQU. AREA	= 0.085C M./DAY
TOTAL REQU. AREA =910 X0.085	=77.35 cum./DAY
PROVIDE AREA OF SPTIC TANK	
SIZE =8.00X2.50X2.00	= 40.00 CU.MX2= 80.0 cum
TOTAL AREA OF SPTIC TANK	=80.00 CU.M.

RAIN WATER HARVESTING CHAMBER

TOTAL TERRACE AREA (A+B) = 2978 Sqmt.
REQUIRED VOLUME FOR R.W.H CHAMBER
For 100 Sq.mt = 0.80cum Req.
So, 2978 Sq.mt =(100/30) = 154.56cum
PROVIDED CHAMBER = 3 (nos) X 2.00 X2.00 X0.80 = 160 cum

PLOT DETAILS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR ANSHUL HOMES PVT. LTD.DIRECTOR :- SRI RAHUL KUMAR S/O SRI BINOD KUMAR SINGH, MAUZA- SIPARA THANA- BEUAR, THANA NO -27, KHATA NO- 02 , 03 , 04 &05 , S. PLOT NO-507 (P),509(P),513(P), 515(P) & 516 (P) , DIST - PATNA

SHEET TITLE:
SITE PLAN & LOCATION PLAN (BLOCK-A&B)

SCALE	DATE	DRG NO
1:100 1:200		S-1/14

Anshul Homes Pvt. Ltd.
Director
SIG. OF OWNER

AR. NAVRATNA RAGHUVANSHI
REG. No. CA/2016/15
SIG. OF ARCH

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
Case No. PRDA-BP/MH/7309/2016
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on.....
Date... 21/07/18
SANCTION OF PLAN ACCORDED
11-03-19
10/3/19
गुलाम रब्बानी
उप निदेशक
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 3503

Date / दिनांक: 15-03-2019

सेवा में,

1. **श्री राहुल कुमार,**
पिता–श्री विनोद कुमार सिंह,
पता–सिपारा,
पटना,बिहार।

2. **अभियंता, श्री नवरत्न रघुवंशी, निबंधन सं0–AR/46/15**
पटना नगर निगम।

विषय :- **प्लॉन केस सं0– P/ Sipara-PRN-B+G+7/309/2016 के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 82.00 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/ भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 82.00 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय ।

अत: निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 82.00 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

15/03/19

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सेवा हि धर्म:
१९५२
पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 3504

Date / दिनांक: 15-03-2019

सेवा में,

श्री राहुल कुमार,
पिता-श्री विनोद कुमार सिंह,
पता-सिपारा,
पटना,बिहार।

विषय :- **प्लॉन केस सं0-P/ Sipara-PRN-B+G+7/309/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P/Sipara-PRN-B+G+7/309/2016 दिनांक 16.9.2016 के संदर्भ में **श्री राहुल कुमार,पिता-श्री विनोद कुमार सिंह,**पता-सिपारा,पटना,बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम केकैडेस्टल सर्वे प्लॉट सं0-507(P),509(P),,513(P),,515(P),516(P),खाता संख्या-2,3,4,5 मौजा-सिपारा, थाना सं0-27,सर्वे थाना-फुलवारी शरीफ पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एत्द द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 4563.58 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 25.00 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत

आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 82.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है।भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) निर्माण लागत की कुल प्राक्कलित राशि को चार बराबर किस्तों में प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से उपकर(Cess) की राशि बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कर दिया जाय।

(त) लेबर सेस की राशि के संबंध में कार्यालय उप श्रमायुक्त पटना प्रमण्डल के ज्ञाप सं0-512,दिनांक-12.02.2019 में प्रत्येक वार्षिक किस्तों की दर **8,44,695/-(आठ लाख चौवालीस हजार छः सौ पनचानवे)** रूपये निर्धारित की गई है जिसे भुगतान करने की जबाबदेही आवेदक की होगी।

उप श्रमायुक्त के पत्रांक-512,दिनांक-12.02.2019 में उल्लेखित शर्त एवं नियमों को आवेदक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भवन उपविधि-2014 के सुसंगत धाराओं के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Sudhir 19/03/19

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।